फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भैरूलाल बनाम विपक्षी : श्रीमती उंकारीबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 52/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 की तरफ से मूल वाद में वकालत पत्र अधिवक्ता श्री मुकेश डांगी द्वारा पेश किया गया। विपक्षी संख्या 1, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 7, 15, 19, 20 के सम्मन रजिस्टर्ड से ए.डी. से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किये गये। डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 7, 15, 19, 20 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 22 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 22 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा शवपुरा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 44 की आराजी नम्बर 118 से 123, 127, 128, 131 से 135, 137, 170, 171, 199 से 202, 283 से 285, 296, 299, 300, 301, 302, 43, 44, 45, 46 किता 32 रकबा 9.4000 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:52:37 IST
Reason: SelfAttested